

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर .....  
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प .....

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती " प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... व भू अ. नि. ...  
 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ..... / नायब तहसीलदार ..... की  
 अनुशाषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम .....  
 तहसील ..... व जिला ..... की जमाबन्दी सम्वत् .....  
 में खाता संख्या ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया  
 जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	लखनवा ग्राम	43	नामकी जमाकी शक केगीर मिना पुनिकाम (पेनाब) मिना 5.05 0. 22 गाम, पुन उदराम 4.93 सुगाराम, पुन नाराम 4.93 पुन नाराम, मिना 4.93 गाम, पुन उमरी 5.05 0. 22 गाम, पुन उदराम 4.93 मिना 4.93 गाम, पुन उदराम 4.93	मिनागी शक केगीर 4.93 पुनिकाम (पेनाब) मिना 4.93 पुन उदराम मिना 4.93 नाराम 4.93 पुन नाराम पुन उदराम 4.93 मिना 4.93 गाम, पुन उदराम 4.93 मिना 4.93 गाम, पुन उदराम 4.93

( उपखण्ड अधिकारी  
 पीठासीन अधिकारी  
 कोलायत जिला-बीकानेर  
 लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहा. कलक्टर .....  
 दिनांक :-

क्रमांक :- पु. न. 45/19  
 24.1.19

- प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
  2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
  3. रक्षित पत्रावली।

( उपखण्ड अधिकारी  
 पीठासीन अधिकारी  
 कोलायत जिला-बीकानेर  
 लोक अदालत  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहा. कलक्टर .....